भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1329

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

रोजगार सृजन की पहल

1329. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार अपनी रोजगार सृजन पहलों की प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार करती है और औपचारिक रोजगार, अनौपचारिक कार्य तथा स्व-रोजगार के बीच अंतर करने के लिए किन मापने योग्य संकेतकों पर भरोसा करती है;

(ख) मंत्रालयों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर-मंत्रालयी निर्णय लेने में देरी से नीतिगत कार्यान्वयन और सेवा वितरण प्रभावित न हो; और

(ग) लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैधानिक निकायों, नियामक प्राधिकरणों और संवैधानिक संस्थानों में संस्थागत स्वायत्तता तथा जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस को नया रूप दिया है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, जो कैलेंडर वर्ष (जनवरी 2025-दिसंबर 2025) के दौरान आयोजित वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में पहली रिपोर्ट है, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 54.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 57.4% हो गया है। इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है।

सरकार ने नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में 'संपूर्ण सरकार' का दृष्टिकोण अपनाया है। कार्यप्रणाली के साइलो- धारित दृष्टिकोण को अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और एकीकरण की सुविधा के लिए मजबूत तंत्र में बदल दिया गया है। बेहतर तालमेल हासिल करने के लिए, मंत्रालयों और विभागों को दस क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया है: (i) ग्रामीण और कृषि; (ii) अवसंरचना; (iii) संसाधन; (iv) सामाजिक; (v) कल्याण; (vi) वित्त और अर्थव्यवस्था; (vii) वाणिज्य और उद्योग; (viii) प्रौद्योगिकी; (ix) शासन; और (x) सुरक्षा और विदेश मामले। तदनुसार, सचिवों के दस क्षेत्रीय समूहों का गठन किया गया है जो समग्र और एकीकृत तरीके से मुद्दों की समीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल/कैबिनेट समिति के नोटों में व्यापक अंतर-मंत्रालयी और हितधारकों के परामर्श भी किए जाते हैं, जिसमें कार्यान्वयन की रणनीति सहित सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की तदर्थ समितियां अथवा सचिवों की समितियां गठित की जाती हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) परिभाषित कार्य-प्रदर्शन, सेवा वितरण और अडोपशन मेट्रिक्स के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी करता है। परियोजना-वार मानकीकृत प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) विकसित किए जाते हैं जो संबंधित डिजिटल इंडिया पहलों की प्रकृति, पैमाने और उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। इन केपीआई में सेवा उपलब्धता, उपयोगकर्ता अपनाने, लेनदेन की मात्रा, सेवा वितरण समयसीमा, उपयोगकर्ता संतुष्टि, मापनीयता और सुरक्षा अनुपालन जैसे मापदंड व्यापक रूप से शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) का उपयोग विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा किया जाता है, जो नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है, जो विभिन्न योजनाओं/परियोजना/प्लेटफॉर्म स्तर पर सरकारी मंत्रालयों में आउटपुट-आउटकम संकेतकों की निगरानी करता है।

सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुदृढ़ किया है, जो मंत्रालयों और विभागों के बीच एक सामान्य जीआईएस-आधारित प्लेटफॉर्म पर एकीकृत योजना और वास्तविक समय डेटा साझा करने को सक्षम बनाता है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक संस्थागत तंत्र यानी परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाना है। पीएमजी परियोजनाओं की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्य समन्वय तंत्र के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी से संबंधित मामलों सहित नियामक मुद्दों के समाधान में सहायता करता है।
